मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmpsamb@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/अनुज्ञा–मॉडयूल/2018–19/895 भोपाल दिनांक 19 जून 2018

प्रति,

श्री सुनील जैन 'शाह'
मंत्री,
श्री इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ,
संयोगितागंज मंडी, इंदौर (म0प्र0)

विषयः– ऑन लाईन अनुज्ञा पत्र माड्यूल प्रणाली को लागू किये जाने संबंधी।
संदर्भ :– पत्र क्रमांक 9/2018 दिनांक 16.06.2018

–0–

उल्लेखित विषय संदर्भ में लेख है कि ऑन लाईन अनुज्ञा पत्र माड्यूल प्रणाली को 01 जुलाई 2018 से लागू किया जा रहा है। जिसमें ई–अनुज्ञा पत्र माड्यूल के संबंध में मंडी समिति, इंदौर द्वारा दिलाये गये प्रशिक्षण के उपरांत व्यापारी संध को आई समस्याओं के संबंध में अपनी आपत्ती/सुझाव प्रेषित किये गये हैं। जिसके संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैं :–

1. मंडी शुल्क की भुगतान व्यवस्था :– 01 जुलाई 2018 से लागू की जा रही अनुज्ञा प्रणाली में मंडी शुल्क भुगतान की व्यवस्था पूर्ववत ही रखी गई हैं इसमें सिर्फ यह आवश्यक किया गया है कि अनुज्ञा प्राप्त करने से पूर्व व्यापारी के खाते में जिन्सवार स्कंध की प्रविष्टि अनुज्ञा प्रणाली में दर्ज की जानी होगी। जिसमें उनके द्वारा परिवहन किये जा रहे स्कंध का मंडी शुल्क जमा किया जा चुका हो। चूँकि अनुज्ञा प्रणाली पूर्णतः ऑन लाईन पर आधारित है अतः मंडी शुल्क प्राप्त कर उसके सत्यापन उपरांत ही स्कंध अनुसार प्ररुप 10 व्यापारी द्वारा ऑन लाईन दर्ज कर प्ररुप –09 में अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जा सकेगा/अथवा स्वंय जारी किया जा सकेगा।

2. क्रय क्षमता :– ऑन लाईन अनुज्ञा प्रणाली में व्यापारी के विवरण में दैनिक अधिकतम क्रय क्षमता, व्यापारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करते समय मण्डी समिति को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत/सामूहिक प्रतिभूति की राशि दर्ज करने का प्रावधान है। ऑन लाईन प्रणाली में उक्त किये गये प्रावधान को स्वेच्छिक रखा गया है। अनिवार्य नहीं है।

3. भुगतान पत्रक (बिक्री प्रमाणक) :– ऑन लाईन अनुज्ञा प्रणाली में व्यापारी वर्ग को दिये गये लागिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से व्यापारी द्वारा भुगतान पत्रक ऑन लाईन अथवा मैन्यूअल जारी करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। जो व्यापारी कम्प्यूटर संचालन में दक्ष हैं वह अपने लागिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से भुगतान पत्रक ऑन लाईन जारी/प्रिंट प्राप्त करते हुए उसकी प्रति कृषक एवं मंडी समिति को प्रेषित किया जाना प्रावधानित है। व्यापारी द्वारा भुगतान पत्रक मैन्यूअल जारी किये जाने की दशा में उसकी प्रविष्टि/सत्यापन का कार्य मंडी समिति द्वारा पूर्ण कराया जायेगा।

4. जॉच चौकी :– विभिन्न मंडी समितियों द्वारा प्रदेश के बाहर कृषि उपज परिवहन किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र रीड करने उपरांत ही कृषि उपज को प्रदेश के बाहर निर्गमित किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति पर सीमा जॉच चौकी में पदस्थ मंडी कर्मचारी/उस मंडी क्षेत्र पर निर्धारित उड़न दस्ते द्वारा अनुज्ञा पत्र के क्यू.आर. कोड एवं बार कोड को पंजीकृत मोबाईल के माध्यम से रीड किया जावेगा। उक्त कार्य मंडी कर्मी/उड़न दस्ते द्वारा ऑफ लाईन भी किया जा सकेगा।

5. अनुज्ञा पत्र संशोधन :— अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व व्यापारी द्वारा ऑन लाईन दर्ज किये/कराये जाने वाले प्ररुप–10 अनुज्ञा हेतु घोषणा पत्र में दिये गये विवरण को निरस्त/संशोधित किये जाने का विकल्प उपलब्ध है। अनुज्ञा पत्र जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि व्यापारी द्वारा दिये गये प्ररुप–10 की प्रविष्टि से व्यापारी पूर्णतः संतुष्ट है तदोपरांत व्यापारी एक क्लिक में स्वंय अनुज्ञा पत्र जारी करें/करवा सकेगें।

6. मैन्यूअल अनुज्ञा पत्र :— मण्डी समिति में इन्टरनेट कनेक्टीविटी की न होने की स्थिति में ही मैन्यूअल अनुज्ञा पत्र अपवाद स्वरुप ही जारी किये जा सकेंगे । जिसके सबंध में मंडी समिति द्वारा मैन्यूअल अनुज्ञा पत्र जारी करने के कारणों का उल्लेख करते हुये अपने आंचलिक कार्यालय से इसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. अनुज्ञा पत्र का सत्यापन :— व्यापारी द्वारा अपनी लागिन आईडी से जारी किये/कराये गये अनुज्ञा पत्र वाले वाहन में लदी कृषि उपज का भौतिक सत्यापन उपरांत ही उक्त अनुज्ञा पत्र जारी कर्ता मंडी के पंजीकृत कर्मचारी द्वारा अपने मोबाईल/कम्प्यूटर के माध्यम से क्यू0आर कोड एवं बारकोड रीड कर ही एक्टिव कराया जावेगा। जिसका सत्यापन गनतव्य मंडी समिति के कर्मचारी द्वारा किया जाकर केता व्यापारी के खाते उक्त प्राप्त स्कंध स्वतः ही दर्ज हो सकेगा।

8. जिंस की किस्मः— ऑन लाईन अनुज्ञा प्रणाली में कृषि उपज गेहूँ, चना, सरसों की किस्म में कमशः गेहूँ, चना, व सरसों दर्ज करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी–5/2/अनुज्ञा–मॉडयूल/2018–19/896 भोपाल दिनांक 19 जून 2018

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(02) संयुक्त संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(03) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला ....(म0प्र0)।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल